25.04.19 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी, पोकरण जिला जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील में संलग्न प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश का तथा अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही से अपीलान्टगण किसी प्रकार से व्यथित/ प्रभावित होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से रेस्पोडेन्टस एवं अपीलान्टस पडौसी खातेदार दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विस्तारपूर्वक आदेश के जरिये खारिज किया गया है।

इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के संलग्न प्रस्तुत किये गये अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है तथा अपील को इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर